दिनांक–28.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सिवान जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिवान जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से 10 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2019–20 की 02 एवं 2021–22 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वॉ वित्त आयोग से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DDC द्वारा बताया गया कि प्रतिनिधि भत्ता में 07 करोड़ रूपये की UC एक सप्ताह के भीतर तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 394.92 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि

भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति एवं एम0एन0वाई0(पेयजल) की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 6144 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2256 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 1890 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1007 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 924 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 17 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

V. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 18 मामलों के विरूद्ध 13 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 80, 22 एवं 14 Aspiration के विरूद्ध 00, 00 एवं 00 का निष्पादन किया गया है। जुन, जुलाई एवं अगस्त माह में BPRO द्वारा क्रमशः कुल 09, 80 एवं 97 आवेदनो का Mapping ही नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेश दिया गया कि सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं

लगातार.....

Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 75 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 74 का हस्तांतरण हो चुका है। हसनपुरा प्रखंड में 01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 74 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 74 में RTPS केन्द्र, 74 में विद्युत कनेक्शन, 17 में डाकघर, 04 में NOFN एवं 07 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 74 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 39 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 28 PSB के विरूद्ध मात्र 06 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 05 पंचायतों में प्रथम तल लिंटर स्तर, 02 पंचायतों में प्रथम तल की छत ढलाई, 01 पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर एवं 06 पंचायतों में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। कुल 08 पंचायतों में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग रटेज में है, उसे 15 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर

लगातार.....

क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 15 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 10 का निराकरण हुआ है। पचरूखी प्रखंड के तरवारा पंचायत में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Stay लगाया गया है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतो में वाद दायर है, उन पंचायतों में PSB के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 61 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध 43 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा 42 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 08 पंचायतों का प्राक्कलन अभी भी मुख्य अभियंता के पास लंबित है। 31 पंचायतो में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 27 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता से पत्राचार कर 08 पंचायतो का प्राक्कलन स्वीकृत कराए। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है। जिन पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 283 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 49 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 49 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 16 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 15 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 06 पंचायतो में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में अबतक TA द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतो के TA के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 145 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को

लगातार.....

निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से पंचायत समिति में 55 एवं ग्राम पंचायत में 103 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

X. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	20.36%
02	पंचायत समिति	57.33%
03	ग्राम पंचायत	65.05%

सिवान प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी शून्य है। BPRO ने बताया कि प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण भुगतान में बाधा उत्पन्न हो गयी थी। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। एक सप्ताह में 25 लाख रूपये का भुगतान हो जाएगा।

(ख) यह भी पाया गया है कि सिवान जिले के लगभग सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

(ग) गोरियाकोठी प्रखंड के भिट्ठी पंचायत में 58 लाख रूपये की राशि उपलब्ध होन के बावजूद भी इस वित्तीय वर्ष में शून्य राशि का व्यय किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(घ) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1410 के विरूद्ध 17, पंचायत समिति में 2555 के विरूद्ध 16 एवं ग्राम पंचायत में 16974 के विरूद्ध 1119 योजना ही पूर्ण की गयी है।

लगातार.....

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. सिवान प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. DDC एवं DPRO सिवान जिले के ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।
3. DDC एवं DPRO गोरियाकोठी प्रखंड के भिट्ठी पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव कि विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।
4. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	23.11%
पंचायत समिति	38.04%
ग्राम पंचायत	29.28%

बसंतपुर, पचरूखी एवं दरौली प्रखंडो के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) गोरियाकोठी एवं रघुनाथपुर प्रखंडो में 06, दरौंधा प्रखंड में 05, भगवानपुर हाट एवं महाराजगंज प्रखंडो में 04–04, हसनपुरा एवं पचरूखी प्रखंडों में 03–03, लकरी नबीगंज प्रखंड में 02, अंदार, दरौली, गुठनी, हुसैनगंज, मैरवा, सिसवन, सिवान एवं जीरादेई प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 515 के विरूद्ध 00, पंचायत समिति में 871 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 4887 के विरूद्ध मात्र 04 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. बसंतपुर, पचरूखी एवं दरौली प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।

लगातार.....

2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक सिवान जिले में 11940 लक्ष्य के विरूद्ध 10460 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की संख्या क्रमशः 10024 एवं 01 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 06 प्रखंडों में एजेंसी द्वारा अबतक Bill Submit ही नहीं किया गया है। शेष 13 प्रखंडों में Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान का प्रतिशत काफी कम है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 189 मामलो के विरूद्ध 142 का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक— 01.01.2026 से 25.09.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 86% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से बसंतपुर प्रखंडच में ON पाई गई लाइटो का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 19 प्रखंडो में से मात्र 14 प्रखंडो के BPRO के द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :—

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा बसंतपुर प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

भगवानपुर हाट, लकरी नबीगंज, नौतन, जीरादेई एवं मैरवा प्रखंडों के BPRO से इस संबंध में विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–03)

XIII. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XIV. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियो द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा–निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

XV. लंबित न्यायिक वाद :–

सिवान जिले में 06 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)

XVI. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVII. विधान सभा/परिषद–

सिवान जिले में कुल 10 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

लगातार.....

XVIII. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। सिवान जिले में भी 28 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः— उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

7/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—14प०/कार्यवाही—02—02/2026/14245/पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपिः—जिला पदाधिकारी, सिवान/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सिवान/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः—14प०/कार्यवाही—02—02/2026/14245/पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपिः—सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः—14प०/कार्यवाही—02—02/2026/14245/पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपिः—आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी